संख्याः 2138 लो0नि0–1–2003–245 (सा0)/2002 टी.सी.

प्रेषक,

एन. रवि शंकर,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1

देहरादून : दिनॉक 30 दिसम्बर, 2003

विषयः **अर्द्ध कुम्भ मेला–2004 हेतु जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत कतिपय कार्यों प्रशासकीय एवं निर्माण स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्द्ध कुम्भ मेला–2004 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के निम्नलिखित कार्यों के रु0 417.98 लाख के आगणन के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रु0 408.57 लाख के आगणन के प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरणानुसार रु0 5.00 लाख (रुपये पांच लाख मात्र) की धनराशि की व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :–

क्र. सं.	कार्य का नाम	आगणन की लागत रु0 लाख में	अनुमोदित लागत रु0 लाख में	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की स्वीकृति रु0 लाख में
1	सिड़की–झबरेड़ा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण लम्बाई 2.00 कि.मी.	66.76	64.66	1.00
2	ज्वालापुर–बहादरपुर जट पथरी स्टेशन–धनपुरा होते हुए लक्सर मार्ग तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण लम्बाई 11.00 कि0मी0	351.22	343.91	4.00
	योग	417.98	408.57	5.00

2– कार्य कराने से पूर्व सम्बन्धित विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण कराने के उपरान्त आवश्कतानुसार विस्तृत मानचित्र एवं आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करलें।

3– कार्य कराते समय स्वीकृत विशिष्टियों का पूर्ण ध्यान रखा जायेगा।

4– निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर परचेज नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

5– जो धनराशि जिस मद के लिए स्वीकृत की गयी है व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद का व्यय दूसरे मद में कदापि न किया जाय। ऐसा करने पर पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियंता का होगा।

क्रमशः..2

6– कार्य कराने से पूर्व एक मुश्त प्राविधानों का विस्तृत आगणन बनाकर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

7– व्यय करते समय बजट मैनअल वित्त हस्तपुस्तिका, स्टोर परचेज रुल्स, टेण्डर आदि विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

8– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता / निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रुप से उत्तरदायी होगें और धनराशि का उपभोग 31.3.2004 तक अवश्य कर लिया जाय। स्वीकृत धनराशि से कृत कार्य की वित्तीय /भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

9– निर्माण कार्य पर प्रयोग की जाने वाली समस्त सामग्री को प्रयोग करने से पूर्व निर्माण सामग्री का परीक्षण विभागीय प्रयोगशाला में किया जायेगा तथा परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री का ही प्रयोग किया जायेगा।

10– उपरोक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003–2004 में अनुदान संख्या 22 के लेखा शीर्षक –5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800 –अन्य व्यय –03 राज्य सेक्टर –02 नया निर्माण कार्य –24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

11– यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अ0शा0 संख्या 2287 /वित्त अनुभाग–3/2003 दिनांक 30 दिसम्बर 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

N. Ravi Shanker

(एन. रवि शंकर)
सचिव।

संख्याः 2138 (1)लो0नि0–1–2003–245 (सा0)/2002 टी.सी. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
4. मुख्य अभियंता (ग.क्षे.), लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ हेतु।
6. अधीक्षण अभियंता, 24वां वृत्त, लो.नि.वि., देहरादून।
7. श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग।
8. वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
10. गार्ड बुक।

(टी. के. पंत)
उप सचिव।